

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(3) ग्रावि/नरेगा/संविदा/मुख्या/2010

जयपुर, दिनांक


2 SEP 2011

विज्ञप्ति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान राज्य ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद् के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी, संविदा का एक पद जो राज्य सेवा से सेवा निवृत्त कार्मिक उप विधि परामर्शी या सहायक विधि परामर्शी से भरा जाना है, के लिए में योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 15.9.2011 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त पद पर नियोजित किये जाने वाले संविदाकर्मी को कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र एफ 17(10) कार्मिक/ए-2/94 दिनांक 8.7.2011 के अनुसार मानदेय दिया जावेगा।


आवेदनकर्ता अपना प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित फोटोप्रतियों के साथ दिनांक 15.9.2011 को सांय 6.00 बजे तक अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस के कमरा नं. 8210 द्वितीय तल, उत्तरी-पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत करे।


(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. प्रोग्रामर, नरेगा को नरेगा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. कार्यालय हाजा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस